



सत्यमेव जयते



राजस्थान सरकार

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग

राजस्थान, जयपुर

प्रशासनिक-प्रतिवेदन

वर्ष 2022-2023

वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर

दूरभाष- 2740179, 2740909, 2744789

फैक्स : 0141-2740193

Website: [lfad.rajasthan.gov.in](http://fad.rajasthan.gov.in)

E-mail: dir.lfad@rajasthan.gov.in

प्रशासनिक-प्रतिवेदन

वर्ष 2022-2023

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	1-2
1	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	3-4
	1.1 प्रशासनिक संगठन	3
	1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार	4
2	स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	5
3	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना	6-18
	3.1 अंकेक्षण प्रक्रिया	6
	3.2 अंकेक्षण कार्य की प्रगति / स्थिति	7-8
	3.3 बजट	8
	3.4 आक्षेपों की स्थिति	9
	(अ) सामान्य आक्षेप (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	9
	(ब) सामान्य आक्षेप दिनांक 31.12.2022 की स्थिति	10
	(स) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	11
	(द) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी दिनांक 31.12.2022 की स्थिति	12
	(य) प्रारूप प्रालेख 'ब' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	13
	(र) प्रारूप प्रालेख 'ब' श्रेणी दिनांक 31.12.2022 की स्थिति	14
	(ल) गबन प्रकरण (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	15
	(व) गबन प्रकरण दिनांक 31.12.2022 की स्थिति	16
	(श) विशेष अंकेक्षण की प्रगति / स्थिति	17
	(ष) अंकेक्षण शुल्क की स्थिति	18
4	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि	19
5	सार-संक्षेप	19

प्रस्तावना

राजस्थान राज्य की स्थापना के पूर्व से ही स्थानीय निकायों का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाता रहा था। इस कार्य को 15 नवम्बर, 1953 से राजस्थान सरकार ने महालेखाकार से अपने नियंत्रण में ले लिया और इस हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की स्थापना 17 दिसम्बर, 1953 को की गई। स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंकेक्षण को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिये राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 28) जारी किया गया। इस अधिनियम के तहत दिनांक 26 मई, 1956 को राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 जारी किये गये। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में अधिसूचना दिनांक 15.04.2011 के द्वारा धारा-18 जोड़ी गई है, जिसके तहत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान-जयपुर द्वारा संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा जो राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

इस क्रम में विभाग द्वारा संपरीक्षित लेखों का प्रथम वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 दिनांक 22 मार्च, 2013 को राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित किया गया, तत्पश्चात वर्ष 2012-13 से वर्ष 2020-21 तक का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन निम्नानुसार राज्य विधानसभा में उपस्थापित किया गया है:-

वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष	उपस्थापित करने की दिनांक
2012-13	20.02.2014
2013-14	25.03.2015
2014-15	28.03.2016
2015-16	28.03.2017
2016-17	27.02.2018
2017-18	13.02.2019
2018-19	26.02.2020
2019-20	25.02.2021
2020-21	11.03.2022

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(10)वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 31.08.2015 के दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार बैठकों का आयोजन किया गया:-

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या
2011-12	12
2012-13	04
2013-14	02
2014-15	01
2015-16	01
2016-17	05
2017-18	04


लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 से 2020-21 के संबंध में समिति की कोई बैठक 31.12.2022 तक आयोजित नहीं हुई है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के क्रम में वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.10(5) वित्त/अंकेक्षण/2010 दिनांक 02.02.11 एवं दिनांक 25.04.2016 के द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के किये जा रहे अंकेक्षण में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रधान महालेखाकार, राजस्थान को अधिकृत किया गया है। इस क्रम में विभाग द्वारा समय-समय पर महालेखाकार राजस्थान से विचार विमर्श कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है।

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा

1.1 प्रशासनिक संगठन:-

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का गठन वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 17 दिसम्बर, 1953 को किया गया था। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान है, जो राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी है। इनका पदस्थापन वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा किया जाता है। विभाग का प्रशासनिक स्वरूप निम्नानुसार है:-



1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार

निदेशालय के अधीनस्थ आठ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं जिनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्यालय	क्षेत्राधिकार (जिले)	अंकेक्षण की जाने वाली संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत अंकेक्षण दल	31.12.22 को कार्यरत अंकेक्षण दल	रिक्त
1	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर-प्रथम फोन नं. 0141-2740223 Email Address: lfad-jpr1-rj@nic.in	(i) जयपुर (ii) सीकर	1116	21	15	06
2	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर-द्वितीय फोन नं. 0141-2740703 Email Address: lfad-jpr2-rj@nic.in	(i) दौसा (ii) झुंझुनूं (iii) अलवर	1303	18	13	05
3	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर फोन नं. 0145-2627792 Email Address: lfad-ajm-rj@nic.in	(i) अजमेर (ii) भीलवाड़ा (iii) नागौर (iv) टोंक	1585	29	06	23
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर फोन नं. 0291-2650364 Email Address: lfad-jod-rj@nic.in	(i) जोधपुर (ii) पाली (iii) जैसलमेर (iv) बाड़मेर (v) सिरोही (vi) जालौर	2505	26	15	11
5	क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर फोन नं. 0151-2542354 Email Address: lfad-bik-rj@nic.in	(i) बीकानेर (ii) चुरू (iii) श्रीगंगानगर (iv) हनुमानगढ़	1413	23	11	12
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा फोन नं. 0744-2322210 Email Address: lfad-kot-rj@nic.in	(i) कोटा (ii) बारां (iii) बूंदी (iv) झालावाड़	923	16	05	11
7	क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर फोन नं. 0294-2494230 Email Address: lfad-uda-rj@nic.in	(i) उदयपुर (ii) चित्तौड़गढ़ (iii) राजसमन्द (iv) डूंगरपुर (v) बाँसवाड़ा (vi) प्रतापगढ़	2309	26	16	10
8	क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर फोन नं. 05644-224075 Email Address: lfad-bha-rj@nic.in	(i) भरतपुर (ii) धौलपुर (iii) सवाईमाधोपुर (iv) करौली	1154	17	10	07
9	मुख्यालय		0	2	0	2
	योग		12308	178	91	87

2. स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

(31.12.2022 की स्थिति)

(1) राजपत्रित अधिकारी				
क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	दिनांक 31.12.22 को रिक्त पदों की संख्या
1	निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा-हायर सुपर टाइम स्केल)	1	1	0
2★	अतिरिक्त निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा सुपर टाइम स्केल)	9	9	0
3	संयुक्त निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा- चयनित वेतनमान)	2	2	0
4	उपनिदेशक (राजस्थान लेखा सेवा-वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)	9	2	7
5	लेखाधिकारी	42	19	23
	(i) अंकेक्षण दल 41			
	(ii) कार्यालय 1			
6	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	149	86	63
	(i) अंकेक्षण दल 137			
	(ii) कार्यालय 12			
7	निजी सचिव	1	1	0
8	अतिरिक्त निजी सचिव	2	2	0
9	संस्थापन अधिकारी	2	0	2
10	प्रशासनिक अधिकारी	7	7	0
11	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	21	20	1
(2) अराजपत्रित कर्मचारीगण				
12	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय	7	4	3
13	कनिष्ठ लेखाकार	236	145	91
	(i) अंकेक्षण दल 183			
	(ii) कार्यालय 53			
14	निजी सहायक- प्रथम	6	1	5
15	निजी सहायक- द्वितीय	8	6	2
16	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	45	37	08
17	वरिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम क्लर्क ग्रेड-I)	66	45	21
18	कनिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम क्लर्क ग्रेड-II)	125	79	46
19	सहायक प्रोग्रामर	4	4	0
20	सूचना सहायक	7	5	2
21	वाहन चालक	1	1	0
22	जमादार	1	1	0
23	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	56	19	37
	योग	807	496	311

★ 3 अतिरिक्त निदेशक के पद के विरुद्ध (क्ष. का. भरतपुर, कोटा, जयपुर-द्वितीय) पर संयुक्त निदेशक पदस्थापित है।

3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना

3.1 अंकेक्षण प्रक्रिया

- ❖ विभाग का मुख्य कार्य पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, कृषि उपज मंडी समितियों, देवस्थान विभाग, विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण करना है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की हुई है।
- ❖ राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर किसी अन्य संस्था की विशेष जाँच भी करायी जा सकती है।
- ❖ विभाग का अंकेक्षण वर्ष 1 जून से प्रारम्भ हो कर 31 मई को समाप्त होता है। अंकेक्षण वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही अंकेक्षणाधीन संस्थाओं का अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अंकेक्षण दलों का गठन किया जाता है। सामान्यतः 15 मई से पूर्व संस्थावार/अंकेक्षण दलवार अंकेक्षण कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित संस्था को भी भेजी जाती है।
- ❖ अंकेक्षण दलों द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 एवं इसके अन्तर्गत जारी स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 1955 के अनुसार अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण दलों के निर्देशन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर अंकेक्षण निर्देश भी जारी किये जाते हैं।
- ❖ अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अंकेक्षण दल द्वारा संस्था को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश देने तथा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 7 में अभियोग प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। अभियोग प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी से विभाग द्वारा स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।
- ❖ संस्थाओं के अंकेक्षण समाप्ति के 1 माह में अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाने की व्यवस्था है। राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा-10 एवं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1955 के नियम-28 के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन जारी होने के तीन माह में प्राप्त होना अपेक्षित है।
- ❖ प्रतिवेदनों में दर्शाई गई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत सरचार्ज/चार्ज/अन्य राशि वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु सिफारिश सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है ताकि संस्थाओं को वित्तीय हानि पहुँचाने वाले एवं अन्य अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।
- ❖ सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय – समय पर अंकेक्षण दलों का उनके कार्यरत रहने के दौरान आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।
- ❖ अंकेक्षण दलों के विरुद्ध शिकायतों आदि के संबंध में निदेशालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है एवं अंकेक्षण दलों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है।

3.2 अंकेक्षण कार्य की प्रगति/स्थिति

विभाग के अंकेक्षण दलों द्वारा संस्थाओं के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है एवं राज्य सरकार के विशिष्ट निर्देशानुसार विशेष अंकेक्षण भी किया जाता है। इस विभाग का अंकेक्षण सत्र जून माह से प्रारंभ होकर आगामी मई माह के अंतिम कार्य दिवस तक माना जाता है।

अंकेक्षण कार्य की प्रगति:— विभाग द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य की प्रगति निम्नानुसार है:—

वर्ष 2021-22 में 12308 संस्थाओं का चालू वर्ष का व 30683 बकाया वर्षों का अंकेक्षण लम्बित था जिसके विरुद्ध 7645 (62.11 प्रतिशत) चालू वर्षों तथा 8317 (27.11 प्रतिशत) बकाया वर्षों का अंकेक्षण सम्पन्न किया गया है।

अंकेक्षण वर्ष	किया गया अंकेक्षण			
	संस्थाएँ	चालू वर्ष	बकाया वर्ष	कुल वर्ष
2019-20 लक्ष्य	10756	10756	35396	46152
2019-20 लक्ष्य प्राप्ति		5725	9788	15513
2020-21 का लक्ष्य	10797	10797	30639	41436
2020-21 लक्ष्य प्राप्ति		4765	5988	10753
2021-22 का लक्ष्य	12308	12308	30683	42991
2021-22 लक्ष्य प्राप्ति		7645	8317	15962
2022-23 का लक्ष्य	12308	12308	27029	39337
2022-23 लक्ष्य प्राप्ति (दिनांक 31.12.2022 तक)		3510	3503	7013
संस्थाओं का लेखा प्रमाणीकरण शहरी स्थानीय निकाय		103		

विभाग को वर्ष 2022-23 के दौरान 12308 संस्थाओं का चालू वर्ष का अंकेक्षण करने हेतु 32441 कार्य दिवसों की आवश्यकता थी। वर्ष के आरम्भ में अंकेक्षण हेतु उपलब्ध अनुमानित 19800 कार्य दिवस (225 कार्य दिवस प्रतिवर्ष के आधार पर) उपलब्ध थे। बकाया अंकेक्षण वर्षों सहित 39337 वर्षों के अंकेक्षण हेतु 175 अंकेक्षण दलों की आवश्यकता रही है।

राज्य सरकार द्वारा निर्देशित विशेष जांचों पर वर्ष के दौरान 658 मानव दिवसों अर्थात् 229 कार्य दिवसों का उपयोग होने के कारण एवं अंकेक्षण वर्ष 2022-23 के प्रथम माह जून, 2022 की अवधि में वित्त विभाग के परिपत्र प. 17(1)वित्त/अंकेक्षण/2013 पार्ट-11 दिनांक 16.05.2016 के निर्देशों के क्रम में केन्द्रीय चौदहवाँ वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में निष्पादन अनुदान हेतु शहरी स्थानीय निकायों के वर्ष 2020-21 एवं इससे पूर्व के बकाया वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण कार्य किये जाने के कारण नियमित अंकेक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। जबकि पंचायतीराज संस्थाओं के वर्ष 2020-21 का लेखा प्रमाणीकरण का कार्य अंकेक्षण के साथ ही पूर्ण कर लिया गया है।

अंकेक्षण वर्ष 2022-23 के प्रथम माह (जून) की अवधि में 103 शहरी स्थानीय निकायों का लेखा प्रमाणीकरण किये जाने से वर्ष 2022-23 में 01.07.2022 से 31.12.2022 की अवधि में 06 माह ही अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया है।

वर्ष 2021-22 में कार्यरत जांचदलों की संख्या 98 थी जबकि वर्ष 2022-23 के प्रारम्भ में 88 जांचदल कार्यरत थे। अंकेक्षण वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त अस्थाई जांचदलों का गठन किये जाने के फलस्वरूप 31.12.2022 को कार्यरत जांचदलों की संख्या 91 दर्शायी गई है।

अतः वर्ष 2022-23 में 01 माह की अवधि में लेखा प्रमाणीकरण किये जाने एवं कार्यरत जांचदलों की कमी के कारण अंकेक्षण कार्य प्रभावित रहा है। अंकेक्षण वर्ष 2022-23 के शेष 05 माह में 91 जांचदलों द्वारा अधिक से अधिक अंकेक्षण लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

3.3 बजट

इस विभाग की प्राप्तियों का एक मात्र स्रोत अंकेक्षण शुल्क है। अंकेक्षण दलों द्वारा संस्थाओं के अंकेक्षण सम्पादित करने के पश्चात् वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 26.03.2018 द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की संबंधित संस्थाओं से मांग की जाती है।

विभाग का व्यय बजट मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, यात्रा भत्ता, एवं कार्यालय व्यय इत्यादि से सम्बन्धित होता है।

निदेशालय के वर्ष 2019-20 से 2020-21 एवं 2021-22 के बजट एवं वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.12.2022 तक की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट मद

प्राप्तियां

0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
60-अन्य सेवाएँ
110-सरकारी लेखा परीक्षण शुल्क

व्यय

माँग संख्या 25

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन
098-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
(01)-निदेशक स्थानीय निधि लेखा

(राशि लाखों में)

क्र. स.	वित्तीय वर्ष (गत तीन वर्षों की स्थिति)	प्राप्तियां		व्यय	
		बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	2019-20	800.00	1048.21	3739.88	3592.34
2	2020-21	800.00	1006.59	4240.97	4200.50
3	2021-22	1000.00	1188.41	4726.38	4343.44
गत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति					
4	2021-2022	1000.00	623.03 (दि० 31.12.21 तक)	4726.38	3191.12 (दि० 31.12.21 तक)
5	2022-2023	1000.00	916.58 (दि० 31.12.22 तक)	4966.73	3923.94 (दि० 31.12.22 तक)

- दिसम्बर 2022 तक लक्ष्य (1000 लाख) के विरुद्ध कुल राशि रूपये 916.58 लाख वसूल किया गया है। (जिसमें पिछले बकाया में से 261.28 लाख अंकेक्षण शुल्क की राशि शामिल है) जो लक्ष्य का 91.66 प्रतिशत है।

3.4 आक्षेपों की स्थिति—

अंकेक्षण दलों द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं पर आक्षेपों का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। आक्षेपों में गंभीर प्रकृति की अनियमितताओं एवं गबन संबंधी आक्षेपों का समावेश भी होता है। ऐसे आक्षेपों पर पृथक से विभागाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करने हेतु लिखा जाता है। गंभीर अनियमितताओं के आधार पर विभाग द्वारा प्रारूप प्रालेखों 'अ' व 'ब' श्रेणी का गठन किया जाता है। विभाग द्वारा तय किए मापदण्डों (परिशिष्ट 'अ') के अनुसार 'अ' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन निदेशालय द्वारा तथा 'ब' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार निम्न प्रकार के आक्षेपों का गठन किया जाता है:-

1. सामान्य आक्षेप
2. गम्भीर अनियमितता सम्बन्धी प्रारूप प्रालेख "अ" श्रेणी
3. अनियमितता सम्बन्धी प्रारूप प्रालेख "ब" श्रेणी
4. गबन सम्बन्धी आक्षेप

(अ) सामान्य आक्षेपों की विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.5.19 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2019-20			वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22		
			1.06.19 से 31.07.20 तक गठित आक्षेप	1.06.19 से 31.07.20 तक निरस्त आक्षेप	31.7.20 को अवशेष आक्षेप	1.08.20 से 30.06.21 तक गठित आक्षेप	1.08.20 से 30.06.21 तक निरस्त आक्षेप	30.06.21 को अवशेष आक्षेप	1.07.21 से 31.05.22 तक गठित आक्षेप	1.07.21 से 31.05.22 तक निरस्त आक्षेप	31.05.22 को अवशेष आक्षेप
1.	पंचायतीराज विभाग										
	(i) जिला परिषदें	2743	517	269	2991	421	183	3229	514	279	3464
	(ii) पंचायत समितियां	64761	6270	3406	67625	8086	2111	73600	12058	3194	82464
	(iii) ग्राम पंचायतें	2871884	124629	66640	2929873	170225	70810	3029288	219161	20469	3227980
	योग	2939388	131416	70315	3000489	178732	73104	3106117	231733	23942	3313908
2.	स्थानीय निकाय विभाग										
	(i) नगर निगम	5211	97	45	5263	198	43	5418	36	63	5391
	(ii) नगर परिषदे	14431	502	886	14047	877	277	14647	400	349	14698
	(iii) नगर पालिकाएँ	47909	2628	2503	48034	2547	1334	49247	2311	897	50661
	योग	67551	3227	3434	67344	3622	1654	69312	2747	1309	70750
3.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग										
	(i) जयपुर विकास प्राधिकरण	944	90	81	953	86	4	1035	0	4	1031
	(ii) जोधपुर विकास प्राधिकरण	452	0	66	386	130	8	508	0	20	488
	(iii) अजमेर विकास प्राधिकरण	959	0	10	949	0	1	948	0	8	940
	(iv) राजस्थान आवासन मण्डल	4076	536	336	4276	620	361	4535	333	444	4424
	(v) नगर सुधार न्यास	2550	273	231	2592	245	84	2753	208	159	2802
	योग	8981	899	724	9156	1081	458	9779	541	635	9685
4.	कृषि विभाग										
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	603	150	105	648	235	96	787	172	140	819
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	7045	1600	1574	7071	1527	615	7983	802	811	7974
	योग	7648	1750	1679	7719	1762	711	8770	974	951	8793
5.	अन्य संस्थायें	11319	796	750	11365	876	635	11606	473	457	11622
	योग	11319	796	750	11365	876	635	11606	473	457	11622
	महायोग	3034887	138088	76902	3096073	186073	76562	3205584	236468	27294	3414758

विभाग का आडिट सत्र जून माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होने के कारण आक्षेप संबंधी सूचनार्य 1/6 से 31/5 तक की अवधि की संकलित की जाती है।

(ब) दिनांक 31.12.2022 को बकाया सामान्य आक्षेपों की स्थिति-

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.12.21 को अवशेष आक्षेप	1.1.22 से 31.05.22 तक की स्थिति		31.05.22 को अवशेष आक्षेप	1.06.22 से 31.12.22 की स्थिति		31.12.22 को अवशेष आक्षेप
			गठित आक्षेप	निस्तारित आक्षेप		गठित आक्षेप	निस्तारित आक्षेप	
1.	पंचायती राज विभाग							
	(i) जिला परिषदें	3138	451	125	3464	392	307	3549
	(ii) पंचायत समितियां	77068	6946	1550	82464	6774	4292	84946
	(iii) ग्राम पंचायतें	3106368	136329	14717	3227980	126474	160818	3193636
	योग	3186574	143726	16392	3313908	133640	165417	3282131
2.	स्थानीय निकाय विभाग							
	(i) नगर निगम	5396	36	41	5391	79	1039	4431
	(ii) नगर परिषदे	14692	197	191	14698	434	366	14766
	(iii) नगर पालिकाएँ	49289	1799	427	50661	1656	1722	50595
	योग	69377	2032	659	70750	2169	3127	69792
3.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग							
	(i) जयपुर विकास प्राधिकरण	1035	0	4	1031	0	1	1030
	(ii) जोधपुर विकास प्राधिकरण	498	0	10	488	0	2	486
	(iii) अजमेर विकास प्राधिकरण	941	0	1	940	0	5	935
	(iv) राजस्थान आवासन मण्डल	4202	314	92	4424	290	239	4475
	(v) नगर सुधार न्यास	2824	33	55	2802	26	70	2758
	योग	9500	347	162	9685	316	317	9684
4.	कृषि विभाग							
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	752	128	61	819	124	167	776
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	7751	496	273	7974	1074	1204	7844
	योग	8503	624	334	8793	1198	1371	8620
5.	अन्य संस्थायें	11605	175	158	11622	284	679	11227
	योग	11605	175	158	11622	284	679	11227
	महायोग	3285559	146904	17705	3414758	137607	170911	3381454

(स) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

“अ” श्रेणी के बकाया प्रारूप प्रालेखों की विगत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.05.19 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2019-20			वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22		
			01.06.19 से 31.05.20 तक गठित आक्षेप	01.06.19 से 31.05.20 तक निरस्त आक्षेप	31.05.20 को अवशेष आक्षेप	01.06.20 से 31.05.21 तक गठित आक्षेप	01.06.20 से 31.05.21 तक निरस्त आक्षेप	31.05.21 को अवशेष आक्षेप	01.06.21 से 31.05.22 तक गठित आक्षेप	01.06.21 से 31.05.22 तक निरस्त आक्षेप/ ले.प्र. प्रतिवेदन में शामिल/ 'ब' श्रेणी में परिवर्तित ★	31.05.22 को अवशेष आक्षेप
1	पंचायती राज विभाग										
	(1) जिला परिषदें	33	0	21	12	0	1	11	0	4	7
	(2) पंचायत समितियां	1025	4	532	497	4	7	494	2	50	446
	योग (1)	1058	4	553	509	4	8	505	2	54	453
2	स्थानीय निकाय विभाग										
	(1) नगर निगम	284	12	86	210	2	25	187	31	32	186
	(2) नगर परिषदे	347	20	96	271	27	27	271	21	58	234
	(3) नगर पालिकाएँ	679	33	170	542	12	65	489	57	126	420
	योग (2)	1310	65	352	1023	41	117	947	109	216	840
3	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग										
	(1) जयपुर विकास प्राधिकरण	117	20	96	41	2	18	25	12	5	32
	(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण	40	0	12	28	0	0	28	0	0	28
	(3) अजमेर विकास प्राधिकरण	66	0	6	60	0	24	36	0	4	32
	(4) राजस्थान आवासन मण्डल	81	0	25	56	0	0	56	0	11	45
	(5) नगर सुधार न्यास	97	3	40	60	10	1	69	3	27	45
	योग (3)	401	23	179	245	12	43	214	15	47	182
4	कृषि विभाग										
	(1) कृषि विपणन बोर्ड	9	0	4	5	0	1	4	1	0	5
	(2) कृषि उपज मण्डी समिति	56	1	25	32	0	3	29	0	2	27
	योग (4)	65	1	29	37	0	4	33	1	2	32
5	अन्य संस्थाएँ	29	0	4	25	0	4	21	3	5	19
	योग (5)	29	0	4	25	0	4	21	3	5	19
	महायोग	2863	93	1117	1839	57	176	1720	130	324	1526

★नोट:-1 1 जून 2021 से 31 मई 2022 तक निरस्त 10 आक्षेप (पंचायत समिति-1, नगर निगम-1, नगर पालिका-5, जयपुर विकास प्राधिकरण-1, राजस्थान आवासन मण्डल-1, अन्य संस्थाएँ-1), 'ब' श्रेणी में परिवर्तित 241 आक्षेप (जिला परिषद-4, पंचायत समिति-46, नगर निगम-25, नगर परिषद-34, नगर पालिका-91, जयपुर विकास प्राधिकरण-2, अजमेर विकास प्राधिकरण-4 राजस्थान आवासन मण्डल-10, नगर सुधार न्यास 19, कृषि उपज मण्डी समिति-2, अन्य संस्थाएँ-4) एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल 73 आक्षेप (पंचायत समिति-3, नगर निगम-6, नगर परिषद-24, नगर पालिका-30, जयपुर विकास प्राधिकरण-2, नगर सुधार न्यास-8)

(द) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी दिनांक 31.12.2022 की स्थिति :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	31.12.21 को अवशेष आक्षेप	01.01.22 से 31.05.22 तक नवगठित आक्षेप	01.01.22 से 31.05.22 तक निरस्त आक्षेप/सामान्य / 'ब' श्रेणी परिवर्तन★	31.05.22 को अवशेष आक्षेप	01.06.22 से 31.12.22 तक नवगठित आक्षेप	01.06.22 से 31.12.22 तक निरस्त आक्षेप/ ले.प्र. प्रतिवेदन में शामिल/ 'ब' श्रेणी में परिवर्तित★★	31.12.22 को अवशेष आक्षेप
1	पंचायती राज विभाग							
	(1) जिला परिषदे	9	0	2	7	0	2	5
	(2) पंचायत समितियां	455	0	9	446	1	13	434
	योग (1)	464	0	11	453	1	15	439
2	स्थानीय निकाय विभाग							
	(1) नगर निगम	190	0	4	186	0	18	168
	(2) नगर परिषदे	243	0	9	234	1	27	208
	(3) नगर पालिकाएँ	440	1	21	420	1	63	358
	योग (2)	873	1	34	840	2	108	734
3	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग							
	(1) जयपुर विकास प्राधिकरण	32	1	1	32	0	10	22
	(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण	28	0	0	28	0	2	26
	(3) अजमेर विकास प्राधिकरण	32	0	0	32	0	0	32
	(4) राजस्थान आवासन मण्डल	53	0	8	45	0	4	41
	(5) नगर सुधार न्यास	46	0	1	45	0	4	41
	योग (3)	191	1	10	182	0	20	162
4	कृषि विभाग							
	(1) कृषि विपणन बोर्ड	5	0	0	5	0	1	4
	(2) कृषि उपज मण्डी समिति	27	0	0	27	0	2	25
	योग (4)	32	0	0	32	0	3	29
5	अन्य संस्थाएँ	22	1	4	19	0	4	15
	योग (5)	22	1	4	19	0	4	15
	महायोग	1582	3	59	1526	3	150	1379

1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022

नोट :-

★ नोट:- 1 जनवरी 2022 से 31 मई 2022 तक निरस्त 4 आक्षेप (पंचायत समिति -1, नगर निगम-1, जयपुर विकास प्राधिकरण-1, अन्य संस्थाए-1), 27 आक्षेप 'ब' श्रेणी में परिवर्तित (जिला परिषद-2, पंचायत समिति -7, नगर निगम -2, नगर परिषद-1, नगर पालिका-3, राजस्थान आवासन मण्डल -8, नगर सुधार न्यास -1, अन्य संस्थाए-3) एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल 28 आक्षेप (पंचायत समिति -1, नगर निगम-1, नगर परिषद-8, नगर पालिका -18) हुए हैं।

★★नोट:- 1 जून 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक निरस्त 3 आक्षेप (जिला परिषद-1, जयपुर विकास प्राधिकरण-2), 24 आक्षेप 'ब' श्रेणी में परिवर्तित (जिला परिषद-1, पंचायत समिति-8, नगर पालिका-4, जोधपुर विकास प्राधिकरण-2, राजस्थान आवासन मण्डल-4, कृषि उपज मण्डी समिति -2, अन्य संस्थाएं -3) एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल 123 आक्षेप (पंचायत समिति-5, नगर निगम-18, नगर परिषद-27, नगर पालिका -59 जयपुर विकास प्राधिकरण-8, नगर सुधार न्यास -4, कृषि विपणन बोर्ड -1, अन्य संस्थाए -1) हुए हैं। एवं 03 आक्षेप संवीक्षा शाखा से स्थानांतरित होकर आए हैं, जिन्हें गठन में शामिल किया गया है।

(य) प्रारूप प्रालेख "ब" श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

"ब" श्रेणी के बकाया प्रारूप प्रालेखों की विगत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.5.19 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2019-20			वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22		
			1.06.19 से 31.07.20 तक गटित प्रारूप प्रालेख	1.06.19 से 31.07.20 तक निरस्त प्रारूप प्रालेख	31.07.20 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.08.20 से 30.06.21 तक गटित प्रारूप प्रालेख	1.08.20 से 30.06.21 तक निरस्त प्रारूप प्रालेख	30.06.21 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.07.21 से 31.05.22 तक गटित प्रारूप प्रालेख	1.07.21 से 31.05.22 तक निरस्त प्रारूप प्रालेख	31.5.22 को अवशेष प्रारूप प्रालेख
1.	पंचायतीराज विभाग										
	(i) जिला परिषदें	117	92	11	198	8	5	201	16	17	200
	(ii) पंचायत समितियां	2626	784	52	3358	411	28	3741	580	50	4271
	योग	2743	876	63	3556	419	33	3942	596	67	4471
2.	स्थानीय निकाय विभाग										
	(i) नगर निगम	203	38	0	241	5	4	242	60	1	301
	(ii) नगर परिषदें	513	156	11	658	2	6	654	106	3	757
	(iii) नगर पालिकाएँ	1428	211	96	1543	83	16	1610	152	116	1646
	योग	2144	405	107	2442	90	26	2506	318	120	2704
3.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग										
	(i) जयपुर विकास प्राधिकरण	46	26	5	67	0	0	67	5	0	72
	(ii) जोधपुर विकास प्राधिकरण	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61
	(iii) अजमेर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	1	0	1	29	10	20
	(iv) राजस्थान आवासन मण्डल	133	22	6	149	6	0	155	28	25	158
	(v) नगर सुधार न्यास	194	19	5	208	3	1	210	66	8	268
	योग	434	67	16	485	10	1	494	128	43	579
4.	कृषि विभाग										
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	43	1	2	42	11	0	53	7	0	60
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	197	47	23	221	21	10	232	44	14	262
	योग	240	48	25	263	32	10	285	51	14	322
5.	अन्य संस्थायें										
	योग	77	8	5	80	0	3	77	42	15	104
	महायोग	5638	1404	216	6826	551	73	7304	1135	259	8180

(र) प्रारूप प्रालेख "ब" श्रेणी दिनांक 31.12.2022 की स्थिति:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.12.21 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.1.22 से 31.05.22 तक की स्थिति		31.05.22 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.06.22 से 31.12.22 की स्थिति		31.12.22 को अवशेष प्रारूप प्रालेख
			गठित प्रारूप प्रालेख	निस्तारित प्रारूप प्रालेख		गठित प्रारूप आक्षेप	निस्तारित प्रारूप प्रालेख	
1.	पंचायती राज विभाग							
	(i)जिला परिषदें	188	12	0	200	10	7	203
	(ii) पंचायत समितियां	3898	398	25	4271	126	48	4349
	योग	4086	410	25	4471	136	55	4552
2.	स्थानीय निकाय विभाग							
	(i) नगर निगम	270	31	0	301	1	0	302
	(ii) नगर परिषदें	745	14	2	757	5	7	755
	(iii)नगर पालिकाएँ	1583	74	11	1646	92	22	1716
	योग	2598	119	13	2704	98	29	2773
3.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग							
	(i)जयपुर विकास प्राधिकरण	67	5	0	72	0	0	72
	(ii)जोधपुर विकास प्राधिकरण	61	0	0	61	2	0	63
	(iii)अजमेर विकास प्राधिकरण	72	9	4	77	0	6	71
	(iv)राजस्थान आवासन मण्डल	149	14	6	157	4	8	153
	(v) नगर सुधार न्यास	169	43	0	212	22	2	232
योग	518	71	10	579	28	16	591	
4.	कृषि विभाग							
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	53	7	0	60	1	0	61
	(ii) कृषि उपज मण्डी समिति	257	11	6	262	14	13	263
योग	310	18	6	322	15	13	324	
5.	अन्य संस्थायें	95	13	4	104	6	4	106
	योग	95	13	4	104	6	4	106
	महायोग	7607	631	58	8180	283	117	8346

(ल) गबन प्रकरण (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

बैंक से राशि आहरित कर रोकड़ पुस्तिका में इन्द्राज नहीं करना, राजस्व प्राप्तियों का रोकड़ पुस्तिकाओं में इन्द्राज नहीं करना, बिना वाऊचर के व्यय पक्ष में इन्द्राज कर राशि का अपहरण, रोकड़ पुस्तिका वाऊचर आदि में अंकगणितीय, योगात्मक एवं शेष को आगे कम दर्ज कर राशि का अपहरण करना, भण्डार के सामान कम दर्शाये जाने को गबन की श्रेणी में माना जाता है।

अंकेक्षण के दौरान ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर संस्था को निर्धारित प्रपत्र(एल.ए.डी.-4) अंकेक्षण दल द्वारा जारी किया जाता है। अंकेक्षण समाप्ति तक अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण को अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर गबन प्रकरण का एल.ए.डी.-44 जारी कर संस्था प्रधान, नियंत्रण अधिकारी एवं निदेशालय के ध्यान में लाया जाता है। राशि 50,000/- रुपये तक के गबन प्रकरणों की मॉनिटरिंग क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा रु. 50,000/- से अधिक के गबन प्रकरणों की मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर से की जाती है। विभाग में लम्बित गबन प्रकरणों के विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	संस्था वर्ग	अंकेक्षण वर्ष 2019-20 की स्थिति		अंकेक्षण वर्ष 2020-21 की स्थिति		अंकेक्षण वर्ष 2021-22 की स्थिति	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	पंचायती राज विभाग						
	1. जिला परिषदें	3	1.89	3	1.89	3	1.89
	2. पंचायत समितियां	372	461.79	368	494.19	374	506.84
	3. ग्राम पंचायते	6883	1451.07	6728	1746.99	6688	1799.75
	योग (1)	7258	1914.75	7099	2243.07	7065	2308.48
2	1.राष्ट्रीय पोषाहार (प्रा० शिक्षा)	54	813.78	54	813.78	54	813.78
	योग(2)	54	813.78	54	813.78	54	813.78
3	स्थानीय निकाय विभाग						
	1. नगर निगम	45	98.07	45	98.07	45	97.45
	2. नगर परिषदें	26	9.92	18	8.62	23	656.02
	3. नगर पालिकाएँ	175	189.89	172	188.27	201	192.55
	योग (3)	246	297.88	235	294.96	269	946.02
4	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग						
	1. विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0
	2. नगर सुधार न्यास	1	35.89	1	35.89	1	35.89
	3. आवासन मण्डल	6	53.53	6	53.53	6	53.53
	योग (4)	7	89.42	7	89.42	7	89.42
5	कृषि विभाग						
	1. कृषि विपणन बोर्ड	0	0.00	0	0	0	0
	2. कृ.उ.मण्डी समिति	9	3.27	10	3.30	9	3.27
	योग (5)	9	3.27	10	3.30	9	3.27
6	अन्य संस्थाएँ	50	70.28	49	70.28	54	73.53
	योग (6)	50	70.28	49	70.28	54	73.53
	महायोग	7624	3189.38	7454	3514.81	7458	4234.50

*+10 ग्राम सोना

*+10 ग्राम सोना

*+10 ग्राम सोना

* राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, श्रीगंगानगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन 1963-64 में 10 ग्राम सोना भण्डार में कम पाया गया।

(व) गबन प्रकरण दिनांक 31.12.2022 की स्थिति

दिनांक 31.12.22 तक स्वायत्तशापी संस्थाओं के लेखों के अंकेक्षण के दौरान गठित, लम्बित गबन प्रकरण एवं उनके निस्तारण की स्थिति:-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	संस्था वर्ग	31.12.21 को बकाया गबन प्रकरण		1.1.22 से 31.12.22 तक गठित गबन प्रकरण		1.1.22 से 31.12.22 तक निस्तारित गबन प्रकरण		31.12.22 को बकाया गबन प्रकरण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	पंचायती राज विभाग								
	1. जिला परिषदें	3	1.89		0	1	0.01	2	1.88
	2. पंचायत समितियाँ	374	506.84	5	24.04	8	14.28	371	516.60
	3. ग्राम पंचायतें	6688	1799.75	126	585.80	178	20.09	6636	2365.46
	योग (1)	7065	2308.48	131	609.84	187	34.38	7009	2883.94
2	1. राष्ट्रीय पोषाहार (प्रा0 शिक्षा)	54	813.78	0	0	0	0	54	813.78
	योग(2)	54	813.78	0	0	0	0	54	813.78
3	स्थानीय निकाय विभाग								
	1. नगर निगम	45	97.45	0	0	3	0.26	42	97.19
	2. नगर परिषदें	23	656.02	5	0.37	10	0.48	18	655.91
	3. नगर पालिकाएँ	201	192.55	4	1.17	4	2.40	201	191.32
	योग (3)	269	946.02	9	1.54	17	3.14	261	944.42
4	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग								
	1. जयपुर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.जोधपुर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. नगर सुधार न्यास	1	35.89	0	0	0	0	1	35.89
	4. आवासन मण्डल	6	53.53	0	0	0	0	6	53.53
	योग (4)	7	89.42	0	0	0	0	7	89.42
5	कृषि विभाग								
	1. कृषि विपणन बोर्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. कृ.उ.मण्डी समिति	9	3.27	1	9.55	3	1.14	7	11.68
	योग (5)	9	3.27	1	9.55	3	1.14	7	11.68
6	अन्य संस्थाएँ	54	73.53	0	0	6	0.06	48	73.47
	योग (6)	54	73.53	0	0	6	0.06	48	73.47
	महायोग	7458	4234.50	141	620.93	213	38.72	7386	4816.71

+10 ग्राम सोना

+10ग्राम सोना

★राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, श्रीगंगानगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1963-64 में 10 ग्राम सोना भण्डार में कम पाया गया।

(श). विशेष अंकेक्षण की प्रगति/स्थिति

विभाग द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं के नियमित अंकेक्षण के अलावा राज्य सरकार स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत किसी भी संस्था को अधिसूचित कर इस विभाग को उस संस्था का अंकेक्षण करने का निर्देश प्रदान कर सकती है। इसके अन्तर्गत वित्त विभाग तथा संस्थाओं/संस्थाओं के नियंत्रण अधिकारियों के अनुरोध पर पूर्व वर्षों की बकाया 2 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में (दिनांक 31.12.2022) तक 12 संस्था की विशेष जांच हेतु निर्देशित किया गया, जिनमें से 8 विशेष जांच प्रकरण पूर्ण किये जाकर जांच प्रतिवेदन जारी किये जा चुके हैं शेष 6 विशेष जांच प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

1 विशेष जांच प्रकरण

“अ” श्रेणी के विशेष जांच प्रकरणों की मॉनीटरिंग निदेशालय स्तर पर की जाती है। विभाग में लम्बित विशेष जांच प्रकरणों के विगत 3 वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम संस्थायें	वित्तीय वर्ष 2019-20 की स्थिति			वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्थिति			वित्तीय वर्ष 2021-22 की स्थिति		
		प्रतिवेदनों की संख्या	कुल आक्षेप	बकाया आक्षेप	प्रतिवेदनों की संख्या	कुल आक्षेप	बकाया आक्षेप	प्रतिवेदनों की संख्या	कुल आक्षेप	बकाया आक्षेप
1	पंचायतीराज विभाग	61	1564	1187	61	1564	1174	65	1612	1220
2	स्थानीय निकाय विभाग	31	495	411	30	488	408	30	488	408
3	शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं आवासन मण्डल	11	216	140	11	216	140	11	216	140
4	कृषि विभाग	01	15	14	01	15	11	01	15	11
5	आरपीएमएफ	08	304	151	08	304	151	08	304	144
6	अन्य संस्थायें	52	1638	1307	54	1665	1294	54	1665	1286
	योग	164	4232	3210	165	4252	3178	169	4300	3209

2 31.12.2022 को विशेष जांच प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की स्थिति

क्र.सं	नाम संस्था	'अ' श्रेणी			'ब' श्रेणी		
		प्रतिवेदनों की संख्या	कुल आक्षेप	बकाया आक्षेप	प्रतिवेदनों की संख्या	कुल आक्षेप	बकाया आक्षेप
1	पंचायती राज संस्थाएँ	69	1762	1363	307	6637	4779
2	शहरी स्थानीय निकाय	30	488	407	141	2999	1645
3	शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, आवासन मण्डल	11	216	139	14	304	148
4	कृषि विभाग की संस्थाएँ	02	19	15	16	108	91
5	आरपीएमएफ	08	304	140	04	52	52
6	अन्य संस्थायें	57	1713	1322	14	356	312
	योग	177	4502	3386	496	10456	7027

(ष) अंकेक्षण-शुल्क की स्थिति

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर अंकेक्षण शुल्क वसूल किया जाता है। वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प. 10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 26.03.2018 (दिनांक 01.06.2018 से प्रभावी)से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु अंकेक्षण शुल्क का निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है।

क्र.सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण शुल्क की दरें
1	जिला परिषद	रु. 13,000 /- प्रतिवर्ष प्रति जिला परिषद
2	पंचायत समिति	रु. 32,000 /- प्रतिवर्ष प्रति पंचायत समिति
3	ग्राम पंचायत	रु. 4000 /- प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
4	अन्य संस्थाएँ	रु. 4000 /- प्रतिदिन प्रति संस्था

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प.10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 25.04.2018 से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु निर्धारित अंकेक्षण शुल्क वसूली की दरों का लेखा प्रमाणीकरण व अंकेक्षण कार्य हेतु विभाजन करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण एक साथ होने की स्थिति में समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की दर (राशि रुपये में)	अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण अलग होने की स्थिति में	
			प्रमाणीकरण कार्य हेतु आनुपातिक अंकेक्षण शुल्क (राशि रुपये में)	अंकेक्षण शुल्क (राशि रुपये में)
1	2	3	4	5 (3-4)
1	पंचायत समितियाँ	रु. 32,000 /- प्रति वर्ष प्रति पंचायत समिति	रु. 2700 /- प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष	रु. 29300 /- प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष
2	ग्राम पंचायत	रु. 4000 /- प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रु. 700 /- प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रु. 3300 /- प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
3	नगर पालिका / परिषदें / निगम	रु. 4000 /- प्रति दिन प्रति संस्था	रु. 4000 /- प्रति दिन प्रति संस्था	कुल स्वीकृत कार्य दिवसों में से प्रमाणीकरण कार्य हेतु उपयोग किये गये कार्य दिवसों को घटाकर शेष कार्य दिवसों के लिए रु. 4000 /- प्रति दिन प्रति संस्था

अंकेक्षण शुल्क की नवीन दरें दिनांक 01.06.2018 से लागू की गई है। अतः प्रमाणीकरण तथा शेष अंकेक्षण शुल्क की विभाजित दरें भी दिनांक 01.06.2018 से लागू होंगी।

- नोट :- 1. लेखों के प्रमाणीकरण तथा अंकेक्षण कार्य के लिए प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष रु. 4000 /- ही वसूल किये जाएं।
2. अन्य संस्थाओं के अंकेक्षण शुल्क की दरें समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार ही रहेगी।

4 आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

1. अंकेक्षण वर्ष 2022-23 में 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई, 2022 तक की अवधि में वित्त (अंकेक्षण) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2016 की पालना में 103 शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य किया गया जबकि पंचायतीराज संस्थाओं के वर्ष 2020-21 का लेखा प्रमाणीकरण का कार्य अंकेक्षण के साथ ही पूर्ण कर लिया गया है।
2. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की धारा 18 के क्रम में विभाग द्वारा संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) वर्ष 2020-21 तैयार कर दिनांक 11.03.2022 को राज्य विधानसभा में उपस्थापित किया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन परीक्षण हेतु समय-समय पर बैठकों का आयोजन भी किया गया है। इस समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के परीक्षण हेतु 02 एवं 2017-18 के परीक्षण हेतु 03 बैठकों का वर्ष 2022-23 में आयोजन किया गया।
3. विशेष जांच के 08 प्रतिवेदन जारी किये गये।
4. विभाग में ऑनलाईन अंकेक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऑडिट ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से 31.12.2022 तक वर्ष 2020-21 की कुल 33 जिला परिषदों में से 23 (70 प्रतिशत), कुल 352 पंचायत समितियों में से 283 (80 प्रतिशत) एवं कुल 11341 ग्राम पंचायतों में से 8981 (79 प्रतिशत) पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन ऑनलाइन जारी कर दिये गये है।
5. विभाग में ऑनलाईन अंकेक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर कार्य आरंभ कर अंकेक्षण वर्ष 2021-23 में 31 दिसम्बर 2022 तक कुल 3357 संस्थाओं का अंकेक्षण ऑनलाइन प्रारम्भ कर 2141 अंकेक्षण प्रतिवेदन ए.एम.एस. पर ऑनलाइन जारी कर दिये गये है।

5 सार-संक्षेप

अंकेक्षण वर्ष 2022-23 में 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में संस्थाओं के बकाया लेखा वर्षों सहित 7013 लेखा वर्षों का अंकेक्षण कार्य एवं 103 शहरी स्थानीय निकायों का लेखा प्रमाणीकरण कार्य सम्पादित किया गया। इसी समयावधि में 137607 सामान्य आक्षेप गठित किये एवं 170911 आक्षेप निस्तारित किये गये, जिसमें ग्राम पंचायतों के आक्षेप भी सम्मिलित हैं।

****_****